कार्यालय का नाम – .....

ईन्टर्नशिप प्रमाण पत्र

क्र.स.:– दिनांक :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमति .....
पिता/पत्नि का नाम श्री..... निवासी.....
..... तहसील.....विधानसभा क्षेत्र.....
जिला.....रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....
ने दिनांक .....से दिनांक ..... तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य अनुभव सीखने हेतु लगातार इन्टर्नशिप की है। **यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष की मोहर

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी स्व–घोषणा

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .....
घोषणा करता हूँ/करती हूँ :–

(i) वे बेरोजगार इन्जीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इन्जीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।

(ii) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरन्तर रख रहे है।

(iii) इस प्रकार के बेरोजगार स्नातक जो कि किसी अन्य रोजगार योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA अथवा BOCW में श्रमिक के रूप में पंजिकृत हो।

(iv) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक हो।

(v) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना–2007 या अक्षत कौशल योजना–2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना–2012) या मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना–2019 में लाभ प्राप्त कर चुके आशार्थी।

(vi) जिनको सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो।

(vii) जिनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

(viii) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।

(ix) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो।

(x) मेरे परिवार में मेरे सहित अधिकतम 2 पात्र व्यक्तियों ने आदिनांक तक अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना (राज्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) या मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना–2019 में भत्ता प्राप्त किया हो।

उपरोक्त स्व–घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या (i) से (x) तक मुझ पर लागू नहीं होते तथा मैं योजनानुसार अपात्र नहीं हूँ। यदि उपरोक्त घोषणा पत्र बाद में झूठा साबित होने पर भारतीय दंड सहिता, अपराध दंडसंहिता तथा अन्य विधि सम्मत कानून के तहत कार्यवाही हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत ऑनलाईन अपलॉड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. योजना के पात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 5 तथा अपात्रता संबंधी बिन्दु संख्या 6 के संबंध में प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व–घोषणा।

2. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र।

3. प्रार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।

4. प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र/ अंकतालिका।

5. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/ डिग्री।

6. **प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पास–बुक की प्रति।**

7. प्रार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में Annexure-I (तहसीलदार/नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों का घोषणा पत्र Annexure-K

8. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

9. कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स प्रमाण पत्र। (ऐसे प्रार्थी जिन्होने आवेदन से पूर्व ही कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स किया है)

बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत बेरोजगार युवाओं को ईन्टर्नशिप करवाये जाने हेतु राजकीय विभागों की सूची –

क्र.सं.	विभाग	पद / कार्य
1.	राजस्व विभाग	पटवारी की सहायता, लिपिकीय व अन्य निर्देशित कार्य
2.	कृषि विभाग, बागवानी विभाग	कृषि योजनाओं का प्रसार, कृषक सहायता
3.	पशुपालन विभाग	डेयरी पशुपालन योजनाओं का प्रसार, पशुधन सहायता
4.	आयुर्वेद विभाग	चिकित्सा, कम्पाउण्डर सहायता
5.	सर्किट हाउस	रिसेपस्ननिस्ट, हाउसकीपिंग
6.	सहकारी विभाग	ग्राम सेवा सहकारी समिति कृषि ऋण आदान प्रदान में सहायता
7.	शिक्षा विभाग	प्राथमिक, माध्यमिक विधालयों में अध्यापन
8.	तकनीकी शिक्षा विभाग	पोलिटेक्निक , आई टी आई में अध्यापन
9.	रोजगार विभाग	कैरीयर कौंसलिंग में सहायता
10.	जलदाय विभाग	जल जीवन मिशन का कार्य
11.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	B. Tech (Civil) द्वारा पर्यवेक्षण
12.	वन विभाग	वृक्षारोपरण पर्यवेक्षण, नर्सरी, वन सुरक्षा
13.	गृहरक्षा विभाग	होमगार्ड सहायता
14.	उधोग विभाग	रोजगार योजनाओं में सहयोग
15.	सूचना प्रौधोगिकी विभाग	सूचना सहायक सहायता
16.	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनबाडी सहायिका, आशा कार्यकर्ता की सहायता
17.	श्रम विभाग	BOCW व CESS में श्रमिक सहायता
18.	चिकित्सा विभाग	नर्सिंग , बी. फार्मा, लेब टेक्नीशियन में सहायता
19.	पुलिस विभाग	पुलिस, ट्रेफिक में सहायता
20.	समाज कल्याण विभाग	पेंशन, छात्रवृति, छात्रावास सहायता
21.	पर्यटन विभाग	पर्यटक गाईड सहायता
22.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	नरेगा में मेट, विभागीय कार्य
23.	परिवहन विभाग	लिपिकीय कार्य, कौसंलिंग कार्य उड़नदस्तों के साथ सहयोग

नोट – उपरोक्त विभाग, पद, कार्य मार्गदर्शक के रूप में है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य विभाग, कार्यालय पद आदि सूची में शामिल कर सकेगी।